भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
31.07.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1474 का उत्तर

रेल कुलियों की दयनीय स्थिति

1474. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पार्सल एजेंसियों द्वारा पार्सल हैंडलिंग का कार्य संभाले जाने के बाद पंजीकृत रेल कुलियों की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पंजीकृत कुलियों, जिन्हें वर्तमान में यात्रियों द्वारा दिए जाने वाले लाभ के अलावा कोई प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ नहीं मिलता है, को वेतन देने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास कुलियों की दयनीय स्थिति के संबंध में संपूर्ण देश में विस्तृत अध्ययन कराने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): रेलवे द्वारा सहायकों (कुली/लाइसेंसधारी पोर्टरों) निर्धारित ढुलाई प्रभार पर यात्रियों का सामान ढोने के लिए नियुक्त किया जाता है जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। उन्हें सुविधाएं यथा चिकित्सा, पास/रियायती टिकट आदेश, उनके बच्चों को शिक्षा सुविधाएं, वर्दी और विश्राम कक्ष प्रदान की जाती हैं।

*****